# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 185/2021**

भारतीय स्टेट बैंक शाखा सब्जी मण्डी, नवलगढ, जिला झुंझुनू।
–– प्रार्थी

बनाम

मातादीन सुनिया पुत्र श्री गुल्लाराम मेघवाल, खसरा नं0 1672/1115, ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं ( राज0 )।

–– ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्शट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल असैट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट , 2002 ( अब आगे से एक्ट से सम्बोधित किया गया है ) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के संबंध मे प्रस्तुत।

––

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री विजय सिंह चौधरी ( भारतीय स्टेट बैंक ) –..... प्रार्थी बैंक की ओर से
2 अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

## आदेश

**दिनांक 04.10.2021**

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने ऋणी मातादीन सुनिया पुत्र श्री गुल्लाराम मेघवाल को दिनांक 28.12.2013 को रूपये 13,36,000.00 अक्षरे तेरह लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/जमानती ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 28.12.2013 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :– मातादीन सुनिया पुत्र श्री गुल्लाराम मेघवाल के नाम पर आवासीय भवन नं0 1672/1115, ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं ( राज0 ) स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 500 वर्ग मीटर है को ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप मे ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके परिसम्पत्ति पर प्रतिभूमि हित से सम्यक/दृष्टिबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 01.03.2021 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति ( एन.पी.ए. ) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 16.04.2021 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13( 2 ) के अन्तर्गत रजि.एडी/कोरियर/यू.पी.सी. से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये 12,69,220.00 अक्षरे बारह लाख उन्नहत्तर हजार दो सौ बीस रूपये मात्र बकाया + इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक को दिनांक 16.04.2021 को रूपये 12,69,220.00 अक्षरे बारह लाख उन्नहत्तर हजार दो सौ बीस रूपये मात्र+

इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/जमानती से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत चल व अचल श्री मातादीन सुनिया पुत्र श्री गुल्लाराम मेघवाल के नाम पर आवासीय भवन नं0 1672/1115, ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं ( राज0 ) स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 500 वर्ग मीटर है का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। अतः निवेदन है कि गिरवीकृत अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार संपत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई की गई।

हमने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई श्री मातादीन सुनिया पुत्र श्री गुल्लाराम मेघवाल के नाम पर आवासीय भवन नं0 1672/1115, ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं ( राज0 ) स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 500 वर्ग मीटर है का पजेशन प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0 खान )
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
04/10/21